न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 63/2018 (225 आरटीए) रामूराम बनाम भगवानाराम

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00092)

1 रामूराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम,
2 गणेशराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम,
जाति जाट, निवासी ग्राम शिवपुरा(चांदसमा) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 भगवानाराम पुत्र श्री रुगाराम,
2 रामेश्वर पुत्र श्री तुलछाराम,
3 श्रीमती उर्मिला पत्नी तुलछाराम,
4 श्रीमती खम्मादेवी पत्नी श्री गंगाराम
5 रामूराम पुत्र श्री रुगाराम
जाति जाट निवासी गांव शिवपुरा(चांदसमा) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपरु।
6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 16.03.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 11/2017

उपस्थित :
1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी।
2 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश जांगिड़।
3 रेस्पो. सं. 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत।
4 रेस्पो. सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 18.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 11/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से राजस्व

18/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र सं. 11/2017 पेश किया कि प्रार्थीगण शिवपुरा ग्राम के निवासी हैं तथा उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1189/1 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खसरा नं. 1193 का रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा है जो पड़ोसी है। खसरा नं. 1189/1 के लिए जाने हेतु खसरा नं. 1193 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा में से किनारे–किनारे रास्ते की मांग की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए गए एवं रिपोर्ट मंगवाने की तारीख जारी की गई जिसमें दिनांक 02.02.2018 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 के सम्मन पूर्व में जारी होने का उल्लेख किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 4 की ओर से गवाह पेश करने का अवसर देते हुए दिनांक 23.02.2018 को अप्रार्थी सं. 4 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 16.03.2018 को अपीलांट की बहस सुने बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी अपीलांट की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई और न ही उनकी उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया गया तथा समस्त प्रकार की कार्यवाही एकतरफा की गई जबकि हकीकत में अपीलांट के खेत में से कोई रास्ता ही नहीं चलता है एवं प्रार्थी भगवानाराम वगै. के खेत में आने जाने का दूसरा रास्ता है। जहां से उनका आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई फाइंडिंग दिए ही निर्णय पारित कर दिया है। अपीलांट का मौके पर ट्यूबवैल खुदा हुआ है जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है तथा एक तरफा निर्णय/आदेश अपीलांट को सुने बिना किया गया तथा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.04.2017 को पेश हुआ जिसमें नोटिस जारी होने के कोई नंबर ही लगे हुए नहीं हैं तथा सम्मन नोटिस तामील होने से पूर्व ही मौका रिपोर्ट मंगवा ली गई जो कानूनन गलत एवं विधि विरुद्ध है तथा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जहां पर रास्ता कहा गया है वहां नलकूप खुदा हुआ है रिपोर्ट में बताया गया है। खसरा नं. 1189/1 के लिए खसरा नं. 1161, 1178, 1184, 1183 व 1182 में से होकर रास्ता चलता है। रेस्पो. सं. 5 रामूराम जो भगवानाराम का सगा भाई एवं सहखातेदार है तथा खसरा नंबर 1189/1 की तरमीम नही हुई हैं। (अपील में 1189/1 के स्थान पर 1193 अंकित है टंकण की त्रुटि प्रतीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होती है) और न ही कोई बंटवाड़ा किया हुआ है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपूर्ण प्रार्थना पत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क की मंशा के विपरीत निर्णय पारित किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट पेश हुई है उस रिपोर्ट का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। सहायक कलैक्टर द्वारा दिनांक 02.02.2018 को अपनी आदेशिका में यह लिखा है कि अप्रार्थी सं. 4 के अधिवक्ता अनुपस्थित, अप्रार्थी सं. 1 से 3 के सम्मन पूर्व में तामील हो चुके हैं, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पूर्व में किस तारीख को तामील हुआ तो उस पूर्व तारीख को ही एकतरफा कार्यवाही की जानी चाहिए थी परंतु उसका कोई उल्लेख आदेशिकाओं में दिनांक 22.02.2018 से पूर्व नहीं किया गया, उसका कोई कारण नहीं बताया गया। अतः उपरोक्त कारणों से अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2018 को अपास्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश जांगिड़ ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय नहीं हैं। इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अप्रार्थीगण को सम्मन भेजे गए वे तामील हुए उसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद आगे की कार्यवाही चली व वकील उपस्थित हुए। लेकिन उसके बाद वकील के अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में राजीनामा करके यह भी कहा कि रास्ता देने के लिए तैयार हैं अतः प्रकरण को दिनांक 30.05.2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखा गया। लेकिन मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2017 को प्राप्त हुई थी व दोनों पक्षकार उपस्थित होने पर दिनांक 18.05.2017 को उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद अपीलांट्स ने जानबूझकर कदीमी रास्ते को बंद कर दिया गया व मौका रिपोर्ट में अंकित बिंदु सी स्थान पर नलककूप खुदवा दिया गया है जिससे प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 स 3 को उनके खेत व ढाणी के लिए कदीमी रास्ता तक भी बंद कर दिए जाने से आना–जाना बंद हो गया है। अतः अपीलाधीन आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो. सं. 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत ने बहस में कथन किया कि खसरा नं. 1193 में कोई रास्ता नहीं चलता है। खसरा नं. 1193 में मौके पर नलकूप खुदा हुआ है। रामूराम जो रेस्पो. सं. 5 है वह प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 भगवानाराम का सगा भाई है। खसरा नं. 1189/1 में सहखातेदार दर्ज है। खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चलता है। वर्तमान में भगवानाराम वगै. प्रार्थीगण उक्त वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ते से होकर रामूराम के खेत में से होकर आते जाते हैं। भगवानाराम व अन्य ने ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त करने योग्य है। रेस्पो. सं. 5 के विरुद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही निरस्त की जाकर सुनवाई का मौका दिया जावे। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः न्यायालय स्तर से उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2017 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में लोक अदालत के लिए दिनांक 30.05.2017 नियत की गई। 30.05.2017 को लोक अदालत में कोई कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली 15.07.2017 को पेशी पर ली गई। 18.08.2017 व 13.10.2017 को पत्रावली पेश होना अंकित किया है। दिनांक 13.10.2017 सम्मन प्राप्त होना अंकित किया है। दिनांक 21.11.2017 को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित एवं अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग व अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली पर दिनांक 12.12.2017 को पेशी दी गई। दिनांक 12.05.2017, 30.05.2017, 13.10.2017, 21.11.2017 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और और पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में रीडर के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। दिनांक 12.12.2017 को पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने अण्डरटेकिंग लेने का हवाला अंकित हैं व पत्रावली वास्ते जबाब व पेश करने वकालतनामा नियत की गई। इसी प्रकार पत्रावली पेशियों चलती रही। दिनांक 02.02.2018 की आदेशिका में अंकित है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के सम्मन पूर्व में तामील हो चुके हैं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरुद्ध सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व पत्रावली दिनांक 16.02.18 को जबाब प्रार्थना पत्र में रखी गईं तथा दिनांक 16.02.2018 को जबाब पेश नहीं होने पर जबाब बंद कर दिया गया। व पत्रावली बहस में नियत की गई। तथा पत्रावली पर अप्रार्थी सं. 4 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 4 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.02.2018 को अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनकर दिनांक 16.03.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित आदेश इस प्रकार है :–

"हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर बहस का अध्ययन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं अतः खेत खसरा नं. 1193 मौजा शिवपुरा रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा में से एक बीघा दो बिस्वा यानी 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी मौका रिपोर्ट में बताई गई सिंचित भूमि की प्रतिबीघा डी.एल.सी. दर रु. 31000/– दुगनी राशि 68,200/– अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को जरिए डी.डी. सुपूर्द करावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि की डी.डी. अप्रार्थीगण/राजकोष को देने/जमा कराने के पश्चात तहसीलदार शेरगढ़ उक्त भूमि को आम रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।"

9 उपरोक्तानुसार आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया था लेकिन वे बावजूद नोटिस तामील होने पर भी न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए स्थान पर डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि देने पर रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए गए। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 के अनुसार प्रार्थीगण की के खेत 1189/1 व ढाणी के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर चालू कदीमी रास्ते को बंद कर दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा कदीमी रास्ते को ए स्थान पर तारबंदी करके व बी स्थान पर जे.सी.बी. से आड़ी खाई खोद कर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक दिया है व अप्रार्थीगण ने एक नया तरीका और अपनाया कि बिंदु सी पर कदीमी रास्ते के मध्य में ट्यूबवैल भी खुदवा दिया। इस ट्यूबवैल तक अप्रार्थीगण स्वयं तो रास्ते का उपयोग कर रहे हैं लेकिन प्रार्थीगण को तंग करने की नियत से रोक रहे हैं।

इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर ट्यूब वैल कब खुदवाया था। प्रार्थीगण/रेस्पो. का कथन है कि ट्यूबवैल रास्ते के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद खुदवा दिया। जबकि अप्रार्थीगण/अपीलांट का कथन है कि ट्यूब वैल पुराना खुदा हुआ है। इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ ट्यूब वैल के बिजली के बिल पेश किए जो सन् 2011–12 के गंगाराम/केसाराम के ट्यूबवैल के हैं। तथा यह भी कथन किया कि उस स्थान पर ट्यूबवैल में पर्याप्त व मीठा पानी है अन्य स्थान पर पानी की कोई स्योरिटी नहीं है। अतः अन्य स्थान पर इसको शिफ्ट नहीं किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकता है। यदि शिफ्ट भी किया जाता है तो शिफ्ट करने में लगभग 5 लाख रुपए का व्यय होने की संभावना है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने इस पर यह तर्क दिया कि ट्यूबवैल का कनेक्शन पुराना है पहले ट्यूबवैल अन्य स्थान पर था लेकिन प्रार्थीगण ने जब रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तो प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर जानबूझकर ट्यूब वैल खुदवा दिया जैसा कि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः इस न्यायालय की रायम में इस प्रकरण में टयूबवैल प्रार्थना पत्र से पूर्व में खुदा हुआ था या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर जानबूझ कर खुदवा दिया है इसकी जांच किया जाना अपेक्षित है।

अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 1189/1 व ढाणी के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है लेकिन मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीगण की ढाणी व खेत के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पो. सं. 5 रामूराम की ओर से अपील का जवाब पेश किया है कि वह खसरा नं. 1189/1 में सहखातेदार है। तथा खसरा नं. 1189/1 के लिए खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चलता है। बहस में अपीलांट के अधिवक्ता ने इस तथ्य को आधार बनाकर स्पष्ट किया कि प्रार्थीगण का सहखातेदार वैकल्पिक रास्ते का कथन कर रहा है व प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। तथा खसरा नं. 1189/1 का कोई बंटवारा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में सहखातेदार को छोड़ते हुए न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और वैकल्पिक रास्ता दूसरी ओर से चलता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि मौके पर खसरा नं. 1189/1 के लिए खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चलता है उसमें ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अतः वैकल्पिक रास्ता होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा चाहे स्थान पर रास्ता घोषित करने का आदेश से पूर्व यह भी सुनिश्चित करना था कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1189/1 व उसकी ढाणी तक पहुंचने का वैकल्पिक साधन या रास्ता उपलब्ध है या नहीं। हालांकि मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं लेकिन अपील में अपीलांट द्वारा व प्रार्थीगण के सहखातेदार ने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि मौके पर खसरा नं. 1189/1 के लिए दूसरी तरफ से खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चलता है उसमें ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अतः अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पो. सं. 5 व अपीलांट द्वारा बताए गए उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते की जांच किया जाना भी अपेक्षित है।

10 इस प्रकरण में इस न्यायालय के ध्यान में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी लाया गया है कि खसरा नं. 1189/1 के लिए रास्ते की मांग की गई है।

18/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1189/1 के रिकार्डेड खातेदार रामेश्वर पि. तुलछाराम, उर्मिला पत्नी तुलछाराम, भगवानाराम व रामूराम पि. रूगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। खसरा नं. 1189/1 के लिए खसरा नं. 1193 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा नं. 1193 के खातेदार अपीलांट/अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 रामूराम पुत्र गंगाराम व गणेशराम पुत्र गंगाराम, व खम्मादेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के में प्रावधान है कि कोई खातेदार अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को विस्तार करने के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकता है। तथा धारा 251क (1)(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तो यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई खातेदार या खातेदारों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है तो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। इस प्रकरण में खसरा नं. 1189/1 के खातेदार रामेश्वर पि. तुलछाराम, उर्मिला पत्नी तुलछाराम, भगवानाराम व रामूराम पि. रूगाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिवपुरा(चांदसमा) तहसील शेरगढ़ खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल प्रार्थीगण भगवानाराम पुत्र रुगाराम, रामेश्वर पुत्र तुलछाराम एवं श्रीमती उर्मिला पत्नी तुलछाराम हैं तथा रामुराम पुत्र श्री रुगाराम को अप्रार्थी सं. 4 बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी सं. 4 रामूराम की ओर से अधिवक्ता ने अण्डरटेकिंग ली थी लेकिन अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण उसकी एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई। तथा उसका जबाब पेश नहीं हो पाया। प्रस्तुत अपील में अप्रार्थी सं. 4 को रेस्पो. सं. 5 बनाया गया है तथा उसकी ओर से जरिए अधिवक्ता अपील का जबाब पेश हुआ है कि खसरा नं. 1189/1 का वह सहखातेदार है। तथा खसरा नं. 1189/1 के लिए खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चालू है। भगवानाराम व अन्य ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का निवेदन किया है। रेस्पो. सं. 5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग लेने के बाद उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई है अतः एक पक्षीय कार्यवाही न्यायहित में अपास्त की जाती है। तथा रेस्पो. सं. 5 का जबाब रिकार्ड पर लिया जाता है। इस प्रकार इस प्रकरण में स्वयं सहखातेदार यह कथन कर रहा है कि रास्ता उपलब्ध है उसके अन्य सहखातेदारों ने गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है तो इस बिंदु पर सर्वप्रथम विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

धारा 251क (1)(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तो यह स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रावधान है कि कोई खातेदार या खातेदारों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है तो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। अर्थात जोत के खातेदार/खातेदारों को आवेदन करना होगा। इस प्रकरण में खसरा नं. 1189/1 के रामेश्वर पि. तुलछाराम, उर्मिला पत्नी तुलछाराम, भगवानाराम व रामूराम पि. रूगाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिवपुरा (चांदसमा) तहसील शेरगढ़ हैं उनमें से रास्ते के लिए केवल तीन सहखातेदारों की ओर से आवेदन किया है तथा चौथा सहखातेदार रामूराम पि. रुगाराम ने रास्ते के लिए आवेदन नहीं किया है बल्कि वह अपील में यह कथन कर रहा है कि खसरा नं. 1189/1 के लिए रास्ता उपलब्ध है इसलिए भगवानाराम व अन्य ने गलत आवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम शिवपुरा के अनुसार खसरा नं. 1189/1 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा नक्शाट्रेस के अनुसार भी खसरा नं. 1189/1 केवल एक ही खसरा है इसमें सहखातेदारों के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की राय में खसरा नं. 1189/1 के लिए सभी सहखातेदारान द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क व उससे संबधित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन प्रारूप–ञ के अनुसार होगा। इस आवेदन के प्रारूप से व धारा 251–क की भावना से यह स्पष्ट है कि जोत के खातेदार को आवेदन करना होगा। अर्थात यदि जोत संयुक्त खातेदारी की है तो समस्त सहखातेदार इसमें आवेदक होना आवश्यक है। धारा 251क के तहत आवेदक द्वारा अन्य खातेदार जिसकी जोत में से रास्ता चाहता है उसे प्रतिकर अर्थात मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर का भुगतान समस्त खातेदारों की ओर से उन समस्त खातेदारों को जिनकी जोत में से रास्ता दिया जाता है भुगतान करना होता है। अर्थात एक तरह से भूमि को क्रय करने जैसी व्यवस्था है। खसरा नं. 1189/1 के रास्ते के लिए सभी संयुक्त सह खातेदारों को रास्ते की भूमि का भुगतान 1193 के सभी सहखातेदारों का करना आवश्यक है। इस प्रकरण में 1189/1 का एक सहखातेदार रामूराम पुत्र श्री रुगाराम का यह कथन है कि खसरा नं. 1189/1 के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि मौके पर खसरा नं. 1189/1 के लिए दूसरी तरफ से खसरा नं. 1161, 1178, 1184 व 1183 में से होकर रास्ता चलता है। अपीलांट्स की ओर से तो यह भी कथन किया है कि दूसरी ओर से बताए गए रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थीगण रेस्पो. सं. 1 से 3

4/9/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को यह अधिकार नहीं है कि वह अप्रार्थी सं. 4/रेस्पो. सं. 5 की सहमति के बिना रास्ते के लिए आवेदन पेश कर सके। इस प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4/रेस्पो. सं. 5 रामूराम पुत्र श्री रुगाराम, प्रार्थीगण/रेस्पो. 1 से 3 का सहखातेदार है ऐसी स्थिति में उसे रास्ते के प्रार्थना पत्र में आवेदक होना आवश्यक है केवल अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाना पर्याप्त नहीं हैं। संयुक्त भूमि के लिए सहखातेदार की सहमति के बिना रास्ता चाहना संभव नहीं हैं क्योंकि इसके लिए मुआवजे का भुगतान करना होता है व यह प्रकिया लगभग रास्ते के लिए भूमि खरीदने जैसी है। यदि रेस्पो. सं. 1 से 3/प्रार्थीगण को उनके अपने हिस्से की जोत के लिए पृथक से आवेदन करना है तो पहले संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1189/1 का बंटवारा किया जाना आवश्यक होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि के लिए रास्ते का आवेदन पत्र सभी सहखातेदारों की ओर से पेश नहीं होने के कारण धारा 251क के तहत मैंटेनेबल नहीं है। तथा इसी बिंदु प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है एवं तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

11 अतः प्रकरण में धारा 251क के तहत प्रस्तुत आवेदन सभी सहखातेदारों की ओर से प्रस्तुत नहीं करने के कारण मैंटेनेबल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

18/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

12 निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर